



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221043  
CG-DL-E-10082020-221043

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2379]  
No. 2379]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2020/श्रावण 19, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2020/SHRAVANA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2020

**का.आ. 2682(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के निम्नलिखित न्यायालयों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के अधीन महाराष्ट्र राज्य में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दण्डनीय अपराधों तथा अन्य संबंधित मामलों की जांच के लिए विशिष्ट न्यायालयों के रूप में अभिहित करती है, अर्थात्:—

- (i) मुम्बई क्षेत्र के लिए 38वां न्यायालय बालार्ड पीयर तथा थाणे स्थित मामलों सहित मुम्बई के लिए अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, विखरॉली का 31वां न्यायालय;
- (ii) संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागपुर का न्यायालय, और
- (iii) पूणे क्षेत्र के लिए 10वें संयुक्त सिविल जज जूनियर डिविजन तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (न्यायालय संख्या 8), पूणे का न्यायालय।

[तारीख 10-08-2020 की अधिसूचना संख्या 59/2020/फा. सं. 285/30/2019(अन्वेषण-V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(INVESTIGATION DIVISION-V)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2020

**S.O. 2682(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Bombay, hereby designates the following courts of Magistrates of First Class as Special Courts under sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 in the State of Maharashtra, for trial of offences punishable under the Income-tax Act, 1961 and other related matters, namely:-

- (i) the 38<sup>th</sup> Court, Ballard Pier for Mumbai region and 31<sup>st</sup> Court of Additional Chief Metropolitan Magistrate, Vikhroli for Mumbai including cases at Thane;
- (ii) the Court of the Chief Judicial Magistrate, Nagpur for entire Vidarbha region, and
- (iii) the Court of 10<sup>th</sup> Joint Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class (Court No. 8), Pune for Pune region.

[Notification No. 59/2020 dated 10-08-2020/F. No 285/30/2019-IT (Inv.V) CBDT]

DEEPAK TIWARI, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.)